न्यायालय उप तहसीलदार सिंघाना जिला झुन्झुनुं (राज0)

मुकदमा	किस्म मुकदमा	रज्जु दिनांक	निर्णय दिनांक
08/2019	धारा 91 एल.आर.एक्ट	28.01..2019	22.08.2019

उनवान सरकार बनाम बाबूलाल पुत्र ग्यारीलाल जाति खटीक निवासी सिंघाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)

—: निर्णय :—

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिकमि अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का सिंघाना ने सम्वत 2075 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम सिंघाना की राजकीय भूमि चा 1 के ख0 न0 401 कुल रकबा 0.20 है0 मे से 0.05 है0 भूमि पर अतिक्रमी बाबूलाल पुत्र ग्यारीलाल जाति खटीक निवासी सिंघाना ने अवैध रूप से पक्का मकान बनाकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी उपस्थित रहा।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया । अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमण जो काबिल नियमन नही है। ना ही नियमो के अनुरूप है। अतिकमी द्वारा राजकीय भूमि में पक्का मकान बनाकर अतिकमण किया गया है। अतिकमण किये जाने के फलस्वरूप अतिकमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से पक्का मकान बनाकर अतिकमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 6.30/— का अतिकमण शुदा भूमि के ख0 न0 401 रकबा 0.05 है0 की लगान 0.32 की 50 गुणा जुर्माना राशि 16/— बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0 अ0 निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिकमीत भूमि से वास्तविक रूप से बेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2019 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

उप तहसीलदार सिंघाना

Scanned with CamScanner